रजिस्टर्ड / सील्ड

उत्तर प्रदेश शासन

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2

संख्या-876 / 2018 / 928 / 22-2-2018-17(115) / 2011

लखनऊ:दिनांक: 22 नवम्बर, 2018

आदेश

उत्तर प्रदेश के मा0 राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद-161 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी लल्ला सिंह (बन्दी संख्या-047484) पुत्र **श्री बांके सिंह, निवासी-ग्राम-चंडारी, थाना-सिंधौली, जनपद-शाहजहांपुर, जिन्हें सत्र परीक्षण संख्या-158 / 1976 के अन्तर्गत भारतीय दण्ड विधान की धारा-302, 201 के अधीन दिनांक 01.06.1977 को मा0 अपर सत्र न्यायाधीश, शाहजहांपुर द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया, की समयपूर्व रिहाई हेतु पुलिस अधीक्षक,** जिला मजिस्ट्रेट द्वारा संस्तुति नहीं की गयी है, मेडिकल बोर्ड, दयायाचिका समिति द्वारा की गयी संस्तुति के आधार पर, बन्दी की आयु 72 वर्ष होने, 21 वर्ष से अधिक अपरिहार तथा 28 वर्ष से अधिक सपरिहार सजा काटने, शारीरिक अशक्तता तथा अच्छे जेल आचरण के दृष्टिगत बन्दी की शेष सजा का परिहार करते हैं तथा यह आदेश देते हैं कि उक्त बन्दी द्वारा अपनी शेष दण्डावधि में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिए जिला मजिस्ट्रेट, **शाहजहांपुर** के संतोषानुसार दो जमानतें तथा उतनी ही धनराशि का एक जाती मुचलका प्रस्तुत करने पर बन्दी को कारागार से मुक्त कर दिया जाय।

अमर सेन सिंह

विशेष सचिव।

संख्या-876 / 2018 / 928(1) / 22-2-2018 तद्दिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।

2- जिला मजिस्ट्रेट, **शाहजहांपुर**।

3- पुलिस अधीक्षक, **शाहजहांपुर**।

4- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, **बरेली**।

5- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

6- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।

7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

करूणेश कुमार सिंह

उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in